फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री दीपलाल बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर व अन्य

किस्म मुकदमा – 136 भूराजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या 86/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक 20.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी दीपलाल की साबिक आराजी न. 806/1 रकबा 2 बिघा 13 बिस्वा, आराजी न. 810/13 रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा, आराजी न. 810/14 ग रकबा 4 बिघा 5 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 10 बिघा 3 बिस्वा स्थित होकर उसके कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा उक्त आराजीयात का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम पर अंकित है। वर्तमान में जो नया सेटलमेंट हुआ उसके तहत प्रार्थी की साबिक आराजी न. 810/13 रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा एवं आराजी न. 410/14 ग रकबा 4 बिघा 5 बिस्वा के नये आराजी न. 2142 रकबा 1.5800 है एवं आराजी न. 2143 रकबा 0.0400 है. आ.चा. कुल किता 2 रकबा 1.6200 है. डाले जाकर प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज कर दी गयी है किन्तु प्रार्थी की साबिक आराजी न. 806/1 रकबा 2 बिघा 13 बिस्वा का प्रार्थी के नाम पर दर्ज करने से रह गया तथा नये सेटलमेंट के तहत साबिक आराजी न. 806/1 बिलकुल ही लुप्त कर दिया गया एवं इसके स्थान पर साबिक आराजी न. 810 मी. के नये न. 2140 रकबा 0.6200 है. कर राज्य सरकार के नाम पर अंकित कर दी गयी जो एक लिपिकिय गलती हुई है जिससे प्रार्थी द्वारा आराजी न. 2140 रकबा 0.6200 है. राज्य सरकार के नाम से हटाई जाकर प्रार्थी के नाम किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई तथा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि साबिक आराजी संख्या 806/1 रकबा 2 बिघा 13 बिस्वा, साबिक आराजी न. 810/13 रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा, साबिक आराजी न. 810/14ग रकबा 4 बिघा 5 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 10 बिघा 3 बिस्वा साबिक जमाबंदी संवत् 2050–2053 में खातेदार श्री दीपलाल पिता गुलाबचन्द ब्राह्मण निवासी वाना होकर दर्ज रेकर्ड है। वर्तमान जमाबंदी संवत् 2078–81 के नवीन आराजी न. 2142 रकबा 1.5800 है. व 2143 रकबा 0.0400 है. जिनमें सेटलमेंट विभाग द्वारा तैयार मिलान क्षे. अनुसार साबिक आराजी क्रमशः 810/13, 810/14ग–2142 व 810/13 मी., 810/14ग मी.–2143 होकर कुल किता 02 रकबा 1.6200 है. होकर खातेदार दीपलाल पिता गुलाबचन्द निवासी वाना होकर दर्ज रेकर्ड है। नवीन आराजी 2140 रकबा 0.62 है। सेटलमेंट के तहत प्रार्थी के नाम दर्ज न होकर राज्य सरकार के नाम अंकित किया गया है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि उक्त संबंध में नवीन आराजी 2140 में मिलान क्षे. अनुसार साबिक आराजी 810मी. होना है एवं प्रार्थना पत्र अनुसार साबिक आराजी 806/1 रकबा 2 बिघा 13 बिस्वा को गत के मुकाबले वर्तमान में दर्ज नहीं किया गया। साबिक आराजी न. 806/1 रकबा 2 बिघा 13 बिस्वा की गत लट्ठा शीट में किसी प्रकार की कोई तरमीम नहीं पायी गई। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि नवीन बिलानाम आराजी न. 2140 रकबा 0.6200 है. की मौका निरीक्षण उपरान्त मौके पर प्रार्थी के कब्जे में उक्त आराजी के होने का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो पाया साथ ही बताया कि नवीन बिलानाम आराजी 2140 रकबा 0.6200 है. पर

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला उदयपुर (राज.)

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय भीण्डर में प्रकरण संख्या 11/65 पर अन्त
प्रकरण विचाराधीन है जो कि भंवरलाल बनाम राज्य सरकार से संबंधित है।

हमने पाया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि साबिक आराजी न
806/1 रकबा 2 बिघा 13 बिस्वा प्रार्थी के नाम दर्ज करने से रहना बताया है तथा
बताया कि इसके स्थान पर साबिक आराजी न. 810 मी. के नये आराजी न. 2140 रकब
0.6200 है. राज्य सरकार के नाम अंकित कर दी जिसे प्रार्थी द्वारा अपने नाम पर दर्ज
किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया
कि साबिक आराजी न. 806/1 रकबा 2 बिघा 13 बिस्वा गत के मुकाबले वर्तमान में दर्ज
नहीं किया गया साथ ही स्पष्ट किया है कि आराजी न. 2140 मिलान क्षे. अनुसार साबिक
आराजी न. 810मी. से बना है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है
कि साबिक आराजी न. 806/1 रकबा 2 बिघा 13 बिस्वा की गत लठ्ठा शीट में किसी
प्रकार की तरमीम नहीं पाई गई साथ ही बताया कि आराजी न. 2140 रकबा 0.6200 है
भूमि का मौका निरीक्षण उपरान्त उक्त आराजी के प्रार्थी के कब्जे में होने का स्पष्ट
निर्धारण नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत
पेश किया गया है जिसमें जमाबंदी रोटशन के दौरान हुई लिपिकिय त्रुटि को सुधारे जाने
का प्रावधान है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि साबिक
आराजी न. 806/1 रकबा 2 बिघा 13 बिस्वा की गत लठ्ठा शीट में किसी प्रकार की
कोई तरमीम नहीं है साथ ही स्पष्ट भी किया है कि आराजी न. 2140 रकब 0.6200 है
पर प्रार्थी के कब्जे का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो पाया है जो साक्ष्य का विषय है। प्रार्थी
द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रस्तुत धारा के अन्तर्गत नहीं दिया जा सकता। अतः प्रार्थी के
वाद प्रस्तुत करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार
योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का
अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला उदयपुर (राज)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर • जिला-उदयपुर (राज.) •